रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)72 REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1978/आषाढ़ 24, 1900
No. 209] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1978/ASADHA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई 1978

सा. का. नि. 372(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) नियम 1977 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) (संशोधन) नियम 1978 है ।

(2) ये नियम 1 जुलाई 1978 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) नियम 1977 में, नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(ख) दिल्ली पुलिस के अभारी के रूप में पदनामित पुलिस आयुक्त 1 जुलाई 1978 से" ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

दिल्ली पुलिस के प्रभारी के रूप में पदनामित पुलिस महानिरीक्षक को 1 अप्रैल, 1976 से 250 रु. प्रति माह विशेष भत्ता दिया जा रहा था । 1 जुलाई, 1978, को प्रख्यापित किए गए दिल्ली पुलिस अध्यादेश (1978 का 2) द्वारा उसी तारीख से पुलिस आयुक्त प्रणाली आरंभ की गई है । दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली आरंभ करने के फलस्वरूप पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस का प्रभारी होगा । दिल्ली में पुलिस-आयुक्त प्रणाली के आरंभ हो जाने से दिल्ली पुलिस के प्रभारी के रूप में पदनामित अधिकारी के कार्यों और दायित्वों में कोई कमी नहीं होगी । अतः सरकार ने यह निर्णय किया है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली के आरंभ से पूर्व पुलिस महानिरीक्षक को मिलने वाले वेतन तथा भत्तों में मुकाबले पुलिस आयुक्त के वेतन तथा भत्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा । नियमों में संशोधन सरकार के उपर्युक्त निर्णय को लागू करने के लिए किया गया है । इस संशोधन को 1 जुलाई 1978 से पूर्व प्रभावी करने के परिणाम स्वरूप किसी भी अधिकारी पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका नहीं है ।

[सं. 11052/4/78-ए. आई. एस. (2)]

के. एल. नेगी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 1978

G.S.R. 372(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Indian Police Service (Special Allowance) Rules, 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police (Special Allowance) (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 1978.

2. In the Indian Police Service (Special Allowance) Rules, 1977, for clause (b) of sub-section (1) of rule 3, the following clause shall be substituted namely :—

"(b) the Commissioner of Police designated to be incharge of Delhi Police, shall, with effect from the 1st of July, 1978"

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Inspector General of Police designated to be incharge of Delhi Police was being allowed a special allowance of Rs. 250 per month with effect from 1st April, 1976. By the Delhi Police Ordinance, 1978 (2 of 1978), which was promulgated on 1st July, 1978, the Commissioner of Police system has been introduced with effect from the same date. With the introduction of the Commissioner of Police system in Delhi, the Commissioner of Police will be incharge of Delhi Police. There will no reduction in the duties and responsibilities of the officer designated to be incharge of Delhi police, as a result of the introduction of the Commissioner of Police system in Delhi. It has, therefore been decided by Government that there should be no change in the pay and allowances of the Commissioner of Police, Delhi vis-a-vis the Inspector General of Police prior to the introduction of the Commissioner of Police system. The amendment to the rules is to give effect to the above decision of Government. No officer is likely to be affected adversely by giving retrospective effect to this amendment with effect from 1st July, 1978.

[No. 11052/4/78-AIS(II)]

K. L. NEGI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978